राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि / नि.सं. / 2020 / 329 दिनांक 10.2.2021

सचिव / प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः— पूर्व संचालित महाविद्यालयों के सत्र 2020—21 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के 05.04.2021 तक निस्तारण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020—21 के जिन पूर्व संचालित महाविद्यालयों को निर्धारित मापदंड पूर्ण नही करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया, उन महाविद्यालयों को समय—समय पर कमीपूर्ति / शास्ति के अवसर दिये जा चुके है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों के निस्तारण की अन्तिम **दिनांक 05.04.2021** निर्धारित करते हुए संस्था को **कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि** जमा करवाने का **अंतिम अवसर** प्रदान किया जाता हैं।

महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि पश्चात आदेश की पालना नही करने वाले महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र **सत्र 2021—22 से क्रमिक रूप से निरस्त** कर दिया जावेगा। **प्रकरण का निस्तारण होने तक महाविद्यालय में नवीन प्रवेश बाधित रहेगें। क्रमिक निरस्तीकरण की स्थिति में भी संचालित सत्र हेतु नियमानुसार शास्ति राशि देय होगी।**

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. रजिस्ट्रार, समस्त सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो द्वारा सत्र 2020—21 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर **हार्ड कॉपी विभागीय आदेश कमांक 303 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार संस्था के माध्यम से प्रेषित करावें।**
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)